भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 28**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

एन.आर.सी.पी. के अन्तर्गत दमन गंगा नदी

28.श्री पुरूषोत्ताम खोडाभार्इ रूपाला:

श्री मनसुख एल. मांडविया:

**क्या** पर्यावरण और वन मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या मंत्रालय को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत दमन-गंगा नदी हेतु गृह मंत्रालय अथवा दमन और दीव प्रशासन (संघ राज्य-क्षेत्र) से कोर्इ पत्र प्राप्त हुआ है; और**

**(ख) दमन-गंगा नदी से प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.सी.आर.पी.) के अंतर्गत इस नदी के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य सरकार के साथ समन्वय रखने हेतु दमन प्रशासन (संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन) को निदेश देने के लिए क्या कार्रवार्इ की गर्इ है, क्योंकि यह नदी गुजरात और दमन के बीच है?**

**उत्तर**

पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्रीमती जयंती नटराजन)

**(क) जी, नहीं ।**

**(ख) यह मंत्रालय, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के माध्यम से विभिन्न नदियों के प्रदूषण उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है । इस मंत्रालय को दमन (संघ राज्य-क्षेत्र) में दमन-गंगा नदी के संरक्षण के संबंध में दिसम्बर, 2012 और फरवरी, 2013 में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । एनआरसीपी के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए इस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दमन-गंगा नदी का प्रदूषण उपशमन/संरक्षण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु फरवरी, 2013 में प्रशासक, दमन से अनुरोध किया गया था । तथापि, इस मंत्रालय को दमन में दमन-गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन लिए एनआरसीपी के अंतर्गत विचार किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***